

क/1953/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2017/
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/10/2017.....

1. अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज(ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सागर,)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक।
4. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत विभाग, भोपाल।
5. अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू, गैस राहत विभाग, भोपाल।
6. अधीक्षक, इंदिरा गांधी, महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, भोपाल।
7. अधीक्षक, साकिर अलीखान, गैस राहत विभाग, भोपाल।
8. अधीक्षक, शासकीय, मास्टर लाल सिंह हास्पिटल, भोपाल।

विषय:-दि.01.07.2017से 30.09.2017 तक की अवधि में एम.पी.औषधि पोर्टल से जारी किये गये कयादेशों की प्रदायगी के देयकों से प्रदायकों के देयकों से पैनाल्टी(एल.डी.) नहीं काटे जाने वावत।


विषयांतर्गत लेख है कि, दिनांक 01.07.2017 से भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. लागू किये जाने के उपरांत इससे संबंधित कार्यवाही संपादित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये, प्रबंध संचालक महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2017 को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जी.एस.टी. से संबंधित विभिन्न निर्णय लिये गये थे।

उक्त बैठक के बिन्दु क्रमांक 10 में निम्न निर्णय लिया गया था:-

“01 जुलाई 2017 एवं इसके पश्चात “एम.पी.औषधि” पोर्टल से जारी किये गए कयादेशों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पोर्टल पर जी.एस.टी. दरें प्रविष्ट किये जाने तक की अवधि हेतु, सप्लायर के द्वारा औषधि/सामग्री/उपकरण प्रदाय (Supply) नहीं किये जाने की स्थिति में सप्लायर से पेनाल्टी (एल.डी.) की वसूली नहीं की जावे तथा इस प्रकार का आवश्यक संशोधन “एम.पी.औषधि” साफ्टवेयर में कर दिया जाए।”

सी.डेक. नोएडा द्वारा दिनांक 30.09.2017 को एम.पी.औषधि साफ्टवेयर में उत्पादों की संशोधित दरों एवं जी.एस.टी. की दरों की प्रविष्टी की गई है एवं उक्त निर्णयानुसार साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।


अतएव उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि में एम.पी. औषधि पोर्टल से जारी किये गये कयादेशों के विरुद्ध प्रदाय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण हेतु, प्रदायकों के देयकों से पैनाल्टी (एल.डी.) नहीं काटी जावे।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


27/10/17
वित्त अधिकारी

पृ.क/1954/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2017/

भोपाल, 27/10/2017

- प्रतिलिपि:-1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 6. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.का.लि.भोपाल।
 7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 8. आयुक्त सह संचालक, गैस राहत विभाग, 01, शिवाजी नगर, भोपाल।
 9. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 10. महाप्रबंधक (आई.टी.), म.प्र.प.हे.स.का.लि.भोपाल की ओर सूचनार्थ।


27/10/17
वित्त अधिकारी